-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.01.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **जीवों का शिकार कर पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाने वाले 04 अभियुक्तों को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 16 कछुएं बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जीव जन्तुओं का अवैध शिकार कर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में दिनांक 30.01.2024 की शाम को थाना गिरवां पुलिस द्वारा कछुओं की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 30.01.2024 की शाम थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा बांसी प्रेमपुर नहर पुलिया के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह नदी, तालाबो से कछुआ पकड़ते है और कछुओ को मध्य प्रदेश में ले जाकर बेचते है। अभियुक्तों के कब्जे से 16 कछुएं बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 16 अदद् कछुआ
- 02 मोटरसाइकिल (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक कुचबंधिया पुत्र जिल्लू निवासी बड़ागांव थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना म0प्र0।
2. करन कुचबंधिया पुत्र राजू निवासी बड़ागांव थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना म0प्र0।
3. संजय कुचबंधिया पुत्र अमर सिंह बड़ागांव थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना म0प्र0।
4. कमलेश कुचबंधिया पुत्र बाबू निवासी पकड़ी थाना सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 2/9/39/49B/50/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 1972 थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राकेश कुमार तिवारी प्र0निरी0 थाना गिरवां
2. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार व हमराही पुलिस बल